

तारीख हुक्म

से विभागत प्रस्ताव गंगाबाप गाव उचित है  
अतः आदेश दिया जाता है कि:-  
आदेश

भूमि ख० न० २५७९ रकबा ०.५३ है०

तन ग्राम कावरे तहसील खण्डेला में का  
स्कीक संपादन का तहसीलदार  
खण्डेला का उप पञ्चगाव को सूचित कर  
हुए कि वे एड. काकण्डे के आदेश पर  
विभागत प्रस्ताव तैयार किया जाके विभागत प्रस्ताव  
मय नम्बरा वीके वीके कायम करे हुए, अलग-अलग  
लगात कापक कर, यदि आवश्यक हो तो दिन  
४२२१ नम्बर डालकर विभागत प्रस्ताव तैयार  
करे। इसी आदेश से पावमिड विभागारी  
हो। तहसीलदार खण्डेला को पालना देते  
तहरीर जारी हो विभागत आदेश दिनांक  
३०/१२/१९ को देय है।

21/11/19  
खण्डेला (कार)

30/12/19

आवली पेश हुई। वगुलाय रप./  
अनुपस्थित/पाठसीन अधिकारी  
कोरे पर/अन्य कार्य में व्यस्त।  
आवली पूर्व आदेशानुसार आदेश  
दिनांक 17/2/20 को पेश हो।

17/2/20

आवली पेश हुई। अनुपस्थित  
अनुपस्थित/पाठसीन अधिकारी कोरे  
अन्य कार्य में व्यस्त आवली अग्रे  
कार्यवाही के दिनांक 28/4/20  
को पेश हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खण्डेला (सीकर)

द्वारा प्रजापद १/१५ उमाची देवी वगैरे (दावा)  
हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज मुनाबिंदू २५/१०/२०१५

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तालीम  
में जारी हुए

15-10-2020 वकील वादी द्वारा प्रस्तुत शा  
पत्र मिरतल लखी स्वीकार किया जाने पर  
प्रावली निपल वजहारी केनी दिनांक १५/१०/२०२०  
से लख की जाऊन आज पेश की जा रही है।  
डिप्टी सी पाकना में तहसीलदार खण्डेला के  
प्राप्त विरुद्ध विभाजन प्रमाण के अभिलेख  
पर किया जा रहा है। वकील वादी के विरुद्ध  
विभाजन प्रमाण के पूर्ण तहसिल जाही कर  
हुए मुनाबिंदू विरुद्ध विभाजन प्रमाण डिप्टी  
जानी डिप्टी सी के निवेदन किया।

प्रावली व प्रावली पर उपखण्ड  
राजस्व रेकार्ड एवं विरुद्ध विभाजन प्रमाण का  
अवलोकन किया गया जिसे अवलोकन के  
बाद, वादी स्वीकार किया जाकर मुनाबिंदू  
विरुद्ध विभाजन प्रमाण अनिमलपेन डिप्टी  
किया जा रहा है। विरुद्ध विभाजन प्रमाण अनिमल  
डिप्टी का भाग रहेगा। मुनाबिंदू विरुद्ध विभाजन  
प्रमाण राजस्व रेकार्ड में अमल प्रामद हो  
रहा तदनुसार प्रकरण में अनिमल डिप्टी जारी  
है। प्रावली केसल शुमार लेखन नम्बर के  
क्रम हो तथा बाद तहसील कार्यालय फफर हो।  
यह निर्णय आज दिनांक 15-10-2020 को  
मेरे द्वारा हस्ताक्षरित कर न्यायालयी मुद्रा  
सहित पुले न्यायालय में मुनाया गया

15/10/2020  
(राजेश कुमार)  
उपखण्ड अधिकारी AS  
खण्डेला (सीकर)



# डिक्री मुकदमा इन्तदाइ

(ओ. 20 रूल 6-7 जाका दीवानी)

उपखण्ड अधिकारी

खण्डेला

श्री राकेश कुमार RAS

विराट प्रसाद सैनी \* बनाम 1 आची देवी पत्नी मुक्तिलाल \*

दावा तावत तकारमा

मुकदमा नं. 250 सन् 2015

मुकदमा आज वारत इन्फिसाल कतई रुबरु श्री राकेश कुमार RAS

श्री सददीक खान एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रुबरु -

मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादी स्वीकार किया जाऊंर मुताबिउ विस्तृत विभाजन व अन्तिमकपेण डिडी किया जाला है। विस्तृत विभाजन व अन्तिम डिडी का भाग रहेगा। मुताबिउ विस्तृत भाजन प्रस्ताव राजस्व रेकार्ड में अमल करासद है।

\* मुबलिया \* वाकत \*  
मुकदमें के मध्य सूद वशरह \* फीसदी आज की तारीख से  
दायगी तब \* का अदा करे।

सक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 15 माह 10 सन् 2020  
गई।



*(Signature)*  
(राकेश कुमार)  
RAS  
उपखण्ड अधिकारी  
खण्डेला (सीकर)

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
अर्जी दावा			राम्य अर्जी दावा		
वकालत नामा			राम्य अर्जी		
वजह सबूत			महन्ताना वकील		
गवाहाना वकील			खर्चा गवाहान		
गवाहान			फीस कमिश्नर		
कमिश्नर			बाबत इजराय हुकमनामा		
इजराय हुकमनामा			मुताफरिक		
फरिक					
मीजान			मैजान		

\* खर्चा के कार्य पर कुल खर्चा हर दो फरीकत का चाहे दिवसी के जरिये दिखाया पड हो का नहीं, दर्ज करना पडिगा।

✳ पुत्र मालीराम तैनी जाति माली निवासी दानी किराना वाली तन जुगलपुरा (कांवर) तहसील खण्डेला जिला सीकर (राज०)

- (वादी)

बनाम

- ✳ ① भारती ② आरती पुत्रियां छाजूराम  
③ प्रेम पुत्र छाजूराम समान जाति माली प्रतिवादी नं० २ त ५ नाबालिग जरिद इंद्रधनु मार्व दीपक पुत्र छाजूराम जाति माली निवासीगण तन ग्राम कांवर तहसील खण्डेला जिला सीकर (राज०)  
④ भूमिधारी तहसीलदार खण्डेला जिला सीकर (राज०)  
⑤ मैनेजर बजौदा राज० क्षेत्र ग्रा० बैंड शाखा कांवर,  
⑥ मैनेजर एस० उ० एस० बी० शाखा कांवर।

(प्रतिवादीगण)



*राकेश कुमार*

(राकेश कुमार)

उपखण्ड अधिकारी RAS

खण्डेला (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी

खण्डेला (सीकर)